11.9.18

पत्रावली पेश। इसी अपीलान्ट के वकील उपस्थित। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर जारी शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलशुदा होकर नत्थी है बाद हो तथा प्रस्तुत दाखिल हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

अपील संख्याः–02/2018

निर्णय दिनांकः– 11.09.2018

उनवान

रामगोपाल पुत्र सुखपाल जाति मीना निवासी पायगा तहसील उनियारा जिला टोंक

–अपीलान्ट

बनाम

1.केसर पुत्री रामगोपाल जाति मीना निवासी पायगा तहसील उनियारा जिला टोंक
2.फुलबाई पुत्री रामगोपाल जाति मीना निवासी पायगा तहसील उनियारा जिला टोंक
3.भरतलाल पुत्र रामगोपाल जाति मीना निवासी पायगा तहसील उनियारा जिला टोंक
4.रामबाई पत्नी रामगोपाल जाति मीना निवासी पायगा तहसील उनियारा जिला टोंक
5.ग्राम पंचायत पायगा तहसील उनियारा जिला टोंक जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पायगा तहसील उनियारा जिला टोंक

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 589 दिनांक 18.07.2017
ग्राम पंचायत पायगा तहसील उनियारा जिला टोंक

उपस्थितः– श्री के0एल0 ठाडा वकील अपीलान्ट

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि अपीलान्ट के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 136 व 137 वाके ग्राम पायगा तहसील उनियारा जिला टोंक मे स्थित है। नामान्तरकरण संख्या 589 दिनांक 18.7.2017 ग्राम पंचायत पायगा तहसील उनियारा जिला टोंक द्वारा रामगोपाल पुत्र रामसुखा जाति मीना के फोत हो जाने के कारण उसके विरासत का नामान्तरकरण स्वीकार किया गया था, उक्त नामान्तरकरण ग्राम पंचायत पायगा के खाता संख्या 132, 133, 134, 135, 136, 137 मे दर्ज किया गया था। खाता संख्या 132, 133, 134, 135 मे खातेदार रामगोपाल पुत्र रामसुखा का नाम दर्ज था तथा खाता संख्या 136 व 137 मे अपीलान्ट रामगोपाल पुत्र सुखपाल का नाम खतेदारी मे दर्ज था। राजस्व कर्मचारियों द्वारा नामान्तरकरण संख्या 589 मे खातेदार रामगोपाल पुत्र रामसुखा जो खाता संख्या 132, 133, 134, 135 मे बतोर खतेदार दर्ज था, उसका नामान्तरकरण विरासत दर्ज करते समय मानवीय भूल एवं नामों की समानता होने के कारण सहवन से भूलवश खाता संख्या 136 व 137 मे दर्ज रामगोपाल पुत्र सुखपाल की भी विरासत रामगोपाल पुत्र रामसुखा के वारिसान भरतलाल पुत्र रामगोपाल, केसर, फूलबाई पुत्रियां रामगोपाल व रामबाई पत्नी रामगोपाल के नाम दर्ज हो गया। पटवारी हल्का द्वारा श्रीमान तहसीलदार उनियारा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि खाता संख्या 132, 133, 134, 135 वाके ग्राम पायगा मे दर्ज खातेदार रामगोपाल पुत्र रामसुखा मीना व खाता संख्या 136 व 137 वाके ग्राम पायगा मे दर्ज खातेदार रामगोपाल पुत्र सुखपाल मीना दोनों अलग अलग व्यक्ति है एवं मानवीय भूलवश नामान्तरकरण संख्या 589 ग्राम पायगा मे रामगोपाल पुत्र रामसुखा की विरासत के साथ साथ रामगोपाल पुत्र सुखपाल की विरासत भी उन्ही वारिसान के नाम दर्ज हो गई है। अतः खाता संख्या 136 व 137 मे

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

की गई रामगोपाल पुत्र सुखपाल की विरासत निरस्त योग्य है। रामगोपाल पुत्र सुखपाल मीना निवासी पायगा वर्तमान मे जीवित है। अतः इनकी विरासत निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट का निवेदन है कि नामान्तरकरण संख्या 589 दिनांक 18.7.2018 ग्राम पंचायत पायगा तहसील उनियारा आंशिक रूप से स्वीकार कर खाता संख्या 136 व 137 ग्राम पायगा तहसील उनियारा जिला टोंक मे सहवन एवं मानवीय भूल तथा नामां की समानता होने के कारण गलत रूप से खोला गया विरासत का नामन्तरकरण निरस्त किया जावे तथा खातेदार रामगोपाल पुत्र सुखपाल जात मीना निवासी पायगा का नाम पूर्व जमाबन्दी अनुसार यथावत रखा जावे।

उक्त अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया।

बावजूद तामील नोटिस रेस्पोडेन्ट के उपस्थित नही होने से रेस्पोडेन्टस् के विरूद्व दिनांक 8.8.2018 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। अपीलान्ट के वकील ने अपील मे वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया कि खाता संख्या 132, 133, 134, 135 का खातेदार रामगोपाल पुत्र रामसुखा के फौत होने के बाद विरासत के नामान्तरकरण भरते समय खाता संख्याा 136 व 137 के खातेदार नामो की समानता होने से मानवीय भूल से खाता संख्या 136 व 137 के खाते मे भी खाता संख्या 132, 133, 134, 135 की विरासत के अनुसार गलत रूप से नामान्तरकरण दर्ज हो गया है। अतः नामान्तरकरण संख्या 589 दिनांक 18.7.2018 ग्राम पंचायत पायगा तहसील उनियारा आंशिक रूप से स्वीकार कर खाता संख्या 136 व 137 ग्राम पायगा तहसील उनियारा जिला टोंक मे सहवन एवं मानवीय भूल तथा नामां की समानता होने के कारण गलत रूप से खोला गया विरासत का नामन्तरकरण निरस्त किया जावे तथा खातेदार रामगोपाल पुत्र सुखपाल जात मीना निवासी पायगा का नाम पूर्व जमाबन्दी अनुसार यथावत रखा जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। नकल नामान्तरकरण संख्या 589 ग्राम पायगा खाता संख्या 132, 133, 134 व 135 मे खातेदार रामगोपाल पुत्र रामसुखा जाति मीना सा0 देह खातेदार दर्ज है, जिसकी विरासत रेस्पोडेन्ट 1 ता 4 के नाम दर्ज है। खाता संख्याा 136 व 137 ग्राम पायगा रामगोपाल पुत्र सुखपाल जाति मीना सा0 देह खातेदार दर्ज है। जिसमे भी विरासत रेसपोडेन्ट 1 ता 4 के नाम दर्ज हुयी है। खाता संख्या 132, 133, 134 व 135 के खातेदार रामगोपाल पुत्र रामसुखा जाति मीना था। खाता संख्या 136 व 137 का खातेदार रामगोपाल पुत्र सुखपाल है। जिसमे विरासत का नामान्तरकरण गलत दर्ज होना पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित समझता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 589 दिनांक 18.07.2018 को खारिज किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वे विरासत की पुनः जांच करते हुये नये सिरे से नामान्तरकरण तस्दीक करे।

यह निर्णय आज दिनांक 11.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, उनियारा
उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner